न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 64/2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/195

वादी

हीराराम पुत्र नैनाराम
जाति जाट
निवासी गोल सोढा
तहसील पचपदरा व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बांकाराम पुत्र सोनाराम
2. राणाराम पुत्र सोनाराम
3. सरदाराराम पुत्र सोनाराम
4. मालाराम पुत्र लाभूराम
5. बांकाराम पुत्र लाभूराम
6. माडूदेवी पत्नि लाभूराम
   जाति जाट निवासी गोल सोढा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
7. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. कम एस. बी.जे. बैक शाखा पचपदरा
8. शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. बैक शाखा पचपदरा
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 23/12/2025

1. संक्षिप्त में वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोल सोढा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 91,137,150,243,90 व 136 कुल रकबा 217.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी सोना व लाभू पिसरान भैराराम की खातेदारी मे अवस्थित थी। तत्समय सोना व लाभू द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए खसरा संख्या 137,150 व 136 को बेचान अरजणसिंह,लखसिंह पिसरान फतेहसिंह राजपूत निवासी गोल वालो को दस्तावेजात संख्या 1371/14.5.1968 को पंजीवद्व

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करवाया गया। उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 21 भरा गया,जिसमे मानवीय भूलवंश खसरा संख्या 136 का अंकन नही किया गया,उक्त खसरा संख्या 136 की प्रविष्टि पूर्व खातेदार के नाम यथावत रही। तत्पश्चात अरजणसिंह वगैरा द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 137,150 व 136 का आगे बेचान मदनलाल पुत्र चम्पालाल को दस्तावेजात संख्या 480/28.6.1978 को किया गया। उक्त मदनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान वादी के पिता नैना को दस्तावेजात संख्या 146/1981 को किया गया। वक्त खरीद से वादी के पिता नैनाराम बाद मे वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड मे खसरा संख्या 136 की प्रविष्टि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम यथावत दर्ज रहने के कारण प्रतिवादी आए दिन वादी के कब्जा काश्त मे दंखलदान्जी कर रहे है,जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 136 का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारीयो द्वारा बेचान करने के उपरांत उनका कोई सरोकार नही रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मूल खसरा संख्या 136 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 463/136 व 464/136 कुल रकबा 1.02 बीघा भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की प्रविष्टि को विलोपित की जाकर वादी की खातेदारी में घोषित करवाने एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री पवन सिंहल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से दिनांक 15.7.2021 को वकालतनामा पेश किया गया था तथा जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर आदेश दिनांक 24.1.2024 को जवाब बन्द किया गया। इसके उपरांत भी प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण आदेश दिनांक 07.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद–पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 हीराराम के बयानात हुए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 ग्राम गोल सोढा की खसरा संख्या 137,150,428/138 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 2–इसी ग्राम की खसरा संख्या 90,462/91,463/136 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 3–खसरा संख्या 461/191,464/136 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 4–नामान्तकरण संख्या 21 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 5–नामान्तकरण संख्या 217 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 6–नामान्तकरण संख्या 248 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 7–दस्तावेज संख्या 480/1978 बेचानपत्र की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

9–दस्तावेज संख्या 146/1981 बेचानपत्र की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 9–दस्तावेजात संख्या 146/1981 की प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

4. हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। वक्त बहस वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि कि ग्राम गोल सोढा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 91,137,150,243,90 व 136 कुल एकबा 217.05 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी सोना व लाभू पिसरान भैराराम की खातेदारी मे अवस्थित थी। तत्समय सोना व लाभू द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए खसरा संख्या 137,150 व 136 का बेचान अरजणसिंह,लखसिंह पिसरान फतेहसिंह राजपूत निवासी गोल वालो को दस्तावेजात संख्या 1371/14.5.1968 को पंजीबद्व करवाया गया। उक्त बेचानपत्र के आधार पर ही नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बेचान खसरा संख्या 137,150 व 136 के स्थान पर खसरा संख्या 137 व 150 का आलोच्य नामान्तकरण संख्या 21 भरा गया और खसरा संख्या 136 का नामान्तकरण भरा ही नही गया। इस कारण खसरा संख्या 136 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी के नाम रेकर्ड मे यथावत इन्द्राज रही है। तत्पश्चात अरजणसिंह वगैरा द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 137,150 व 136 का आगे बेचान मदनलाल पुत्र चम्पालाल को दस्तावेजात संख्या 480/28.6.1978 को किया गया। उक्त मदनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान वादी के पिता नैना को दस्तावेजात संख्या 146/1981 को किया गया। वक्त खरीद से वादी के पिता नैनाराम बाद मे वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड मे खसरा संख्या 136 की प्रविष्टि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम यथावत दर्ज रहने के कारण प्रतिवादी आए दिन वादी के कब्जा काश्त मे दंखलदान्जी कर रहे है,जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 136 का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारीयो द्वारा बेचान करने के बाद उनका कोई सरोकार नही रहा है,लेकिन रेकर्ड मे प्रविष्टि यथावत रहने के कारण वादी को आए दिन वादग्रस्त भूमि को बेचान करने की धमकिया दी जाती है तथा वादी के कब्जा काश्त मे दंखलदान्जी करने की कोशिश की जा रही है,जबकि प्रतिवादी ऐसा करने के हकदार भी नही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 136 पर वक्त खरीद से आदिनांक वादी ही काबिज है,केवलमात्र तत्कालीन राजस्व अधिकारीयो की भूलवंश से बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण भरने से रह जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुए है। वादी की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 136 पर वादी का हक हकूक बनता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 136 मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की अवैध प्रविष्टि को विलोपित करते हुए वादी की खातेदारी मे घोषित की जावें तथा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे कि वादी के कब्जा–काश्त मे दंखलदान्जी नही करे।

5. हमनें वादी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिसके आधार पर स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्री सम्मन तलब किया गया था। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंहल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया था तथा जवाव पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। इसके उपरांत भी सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन के लिए वाद–पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात माना जाकर निर्णय किया जाना एकमात्र विकल्प है तथा साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार है:–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आया मौजा गोल सोढा तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 136 रकबा 1.02 बीघा से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 463/136 रकबा 0.11 बीघा व खसरा संख्या 464/136 रकबा 0.11 बीघा भूमि वादी को पंजीकृत दस्तावेजात के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी का नाम हटवाने के हकदार है तथा बाद खातेदारी घोषणा के स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्ति करने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादी)

तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 स्वंय (हीराराम) के बयानात करवाए गए तथा दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 ग्राम गोल सोढा की खसरा संख्या 137,150,428/138 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 2–इसी ग्राम की खसरा संख्या 90,462/91,463/136 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 3–खसरा संख्या 461/191,464/136 की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 4–नामान्तकरण संख्या 21 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 5–नामान्तकरण संख्या 211 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 6–नामान्तकरण संख्या 248 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 7–दस्तावेज संख्या 480/1978 बेचानपत्र की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 8–दस्तावेज संख्या 146/1981 बेचानपत्र की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 9–दस्तावेजात संख्या 146/1981 प्रदर्शित करवाए गए। जिसमे पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी सोना व लाभू पिसरान भैराराम द्वारा खसरा संख्या 137,150 व 136 का पंजीबद्व दस्तावेज संख्या 137/1968 को बेचान अरजणसिंह ,लखसिंह पिसरान फतेसिंह को

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया गया,जो विक्रयपत्र प्रदर्श 8 अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 21 खोला गया,जिसमे खसरा संख्या 137 व 150 का इन्द्राज करते हुए भरा गया और खसरा संख्या 136 का अंकन ही नही किया गया,जबकि खसरा संख्या 137,150 व 136 का प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारीयो द्वारा बेचान किया गया था,लेकिन नामान्तकरण मे खसरा संख्या 136 का इन्द्राज नही होने के कारण जमाबंदी मे प्रविष्टि यथावत पूर्व खातेदार के नाम रही। तत्पश्चात अरजणसिंह,लखसिंह पिसरान फतेसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 137,150 व 136 का बेचान मदनलाल पुत्र चम्पालाल को दस्तावेजात संख्या 480/1978 को किया गया। उक्त बेचानपत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 211 भरा गया,लेकिन उक्त नामान्तकरण मे भी खसरा संख्या 136 का अंकन नही किया गया,जो प्रदर्श 5 व 7 अवलोकन से स्प्ष्ट है। इसी प्रकार क्रेता मदनलाल पुत्र चम्पालाल द्वारा वादग्रस्त भूमि का आगे बेचान वादी के पिता नैनाराम को दस्तावेजात संख्या 146/1981 को किया गया था,जो प्रदर्श 9 अवलोकन से स्पष्ट है,बेचानपत्र मे खसरा संख्या 150,136 व 137 का स्पष्ट उल्लेख हो रखा है,उक्त बेचानपत्र के आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 248 भरा गया,लेकिन खसरा संख्या 150 व 137 की प्रविष्टि इन्द्राज की जाकर खसरा संख्या 136 का इन्द्राज छोड़ दिया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से यह भली भांति साबित होता है कि खसरा संख्या 137,150 व 136 का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हकपूर्वाधिकारी सोना व लाभू पिसरान भैराराम द्वारा किया गया था और उक्त बेचानपत्र के अनुरूप ही नामान्तकरण तीनो खसरान का होना चाहिए था,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की भूलवंश के कारण खसरा संख्या 137 व 150 का तो रेकर्ड मे इन्द्राज हो गया,लेकिन खसरा संख्या 136 का बेचानपत्र के अनुरूप क्रेता के नाम नामान्तकरण नही भरा गया। उक्त गलती के कारण रेकर्ड मे प्रतिवादी के हकपूर्वाधिकारी सोना व लाभू के नाम खसरा संख्या 136 यथावत रहा और उनके फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज हो गए,जिसके प्रतिवादी हकदार भी नही है। वादी वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी मे घोषित करवाने का हकदार के साथ स्थाई निषेघाज्ञा भी प्राप्ति करने का हकदार है। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने मे सफल रहा है। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया था। प्रतिवादी के सम्मन तामील होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता भी मुकर्रर किया गया था,लेकिन जवाब पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब नही दिए जाने पर जवाब बन्द किया गया। इसके बाद भी सुनवाई का अवसर दिए जाने पर भी उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को वादी का वाद स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो उजर–एतरराज पेश

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करते,लेकिन ऐसा प्रतिवादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादी अपना वाद स्वीकार किए जाने में सफल रहने के कारण तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी वाद–पत्र में कायम तनकी संख्या 01 को साबित करने में बखूखी सफल रहा है। अतः वादी के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोल सोढा तहसील पचपदरा की तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 136 रकबा 1.02 बीघा से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 463/136 रकबा 0.11 बीघा व खसरा संख्या 464/136 रकबा 0.11 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की अवैध प्रविष्टि विलोपित करते हुए वादी की खातेदारी मे घोषित की जाती है तथा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जा काश्त मे दंखलदान्जी नही करे। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 23/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

23/12/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 64 / 2021
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021 / 195

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
हीराराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी गोल सोढा तहसील पचपदरा व जिला जोधपुर	1 बांकाराम पुत्र सोनाराम 2 राणाराम पुत्र सोनाराम 3 सरदाराराम पुत्र सोनाराम 4 मालाराम पुत्र लाभूराम 5 बांकाराम पुत्र लाभूराम 6 माडूदेवी पत्नि लाभूराम जाति जाट निवासी गोल सोढा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 7 शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. कम एस.बी.जे. बैक शाखा पचपदरा 8. शाखा प्रबंधक पी.एन.बी. बैक शाखा पचपदरा 9.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व वाद बाबतः–88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 64 / 2021

निर्णय दिनांक :–23.12.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 23.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोल सोढा तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 136 रकबा 1.02 बीघा से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 463 / 136 रकबा 0.11 बीघा व खसरा संख्या 464 / 136 रकबा 0.11 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की अवैघ प्रविष्टि विलोपित करते हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी की खातेदारी मे घोषित की जाती है तथा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जा–काश्त मे दंखलदान्जी नही करे। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर 23/12/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर 23/12/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा